अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

05 12.09.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉंची** अधिग्रहण वाद सं० 34 आर० 28/2022–23 राज्य बनाम अभिमन्यु कुमार पिता ओमप्रकाश सिंह निवासी बांधगाडी, दीपाटोली, थाना बरियातु, जिला रॉंची .... विपक्षी आदेश प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रॉंची के द्वारा पत्रांक 67/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से सिल्ली थाना कांड सं0–47/22 दिनांक 07.05.2022 धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/12/48/54 Jharkhand Mineral Concession Rules, 2004 में जप्त हाईवा वाहन वहन सं० – JH-08A-9697 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त सिल्ली थाना कांड सं0–47/22 दिनांक 07.05.2022 वादी कुमार मनीष पिता राम कृष्णा साहु निवासी ग्राम एवं पोस्ट लोटा, थाना सिल्ली, जिला रॉंची वर्तमान कनीय अभियंता, सिल्ली प्रखण्ड के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा वाहन सं० JH-08A-9697 के मालिक तथा चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालु का उत्खनन एवं परिवहन करने के आरोप के आधार पर दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोंपरान्त इस काण्ड को धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/12/48/54 Jharkhand Mineral Concession Rules, 2004 के अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है। विपक्षी को जारी नोटिस तामीला प्राप्त है। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त विपक्षी इस न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। विगत तिथि को अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कारणपृच्छा ही दाखिल नही किया गया है। पुनः आज भी पुकार पर विपक्षी	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अनुपस्थित पाये गये, इसलिए उनकी गैर उपस्थिति मे एक पक्षीय सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के द्वारा उपरोक्त वाहन मे परिवहन किये जा रहे बालु के वैधनिकता के संदर्भ मे ना तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य ना ही तथ्यात्मक कागजात प्रस्तुत किये गये है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोंपरान्त इस काण्ड को धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/12/48/54 Jharkhand Mineral Concession Rules, 2004 के अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन मे लघु खनिज/बालु का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा था, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है।

अतः सिल्ली थाना कांड सं0–47/22 दिनांक 07.05.2022 हाईवा वाहन सं० JH-08A-9697 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:51:53 -08:00
Location: 192.168.1.4